

वृक्ष कटाई यूजर मैनुअल

वृक्ष कटाई सॉफ्टवेयर में वृक्ष कटाई हेतु आवेदन से लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने तक की प्रक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होगी ।

1. प्रथम चरण - आवेदक द्वारा पूर्ण किया जायेगा ।
2. द्वितीय चरण- कलेक्टर/पीठासीन अधिकारी के रीडर द्वारा पूर्ण किया जायेगा ।
3. तृतीय चरण - पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण किया जायेगा ।

प्रथम चरण

वृक्ष कटाई के लिए आवेदन करने हेतु वेबसाइट : <https://revenue.cg.nic.in>

The screenshot shows the Revenue CG NIC website interface. On the left, there is a navigation menu with various options. The 'आवेदन-भूमि व्यपवर्तन' (Application - Land Use Change) option is highlighted with a red box and a red arrow labeled '1'. Below this, a sub-menu is visible with 'भूमि व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन/वृक्ष कटाई' (Land Use Change for Industrial Purpose/Tree Cutting) selected, also highlighted with a red box and a red arrow labeled '2'. The main content area displays a map with land parcels numbered 1037, 1550, 1548, and 1585. Below the map, there is a table with columns for 'दिनांक' (Date) and 'पत्रक' (Notice). The table contains several entries, including one dated 14/10/2017. The bottom of the page shows the Windows taskbar with the time 11:06 AM on 10/16/2017.

दिनांक	पत्रक
14/10/2017	विभाग के नवीनतम 20 पत्रक
27/09/2017	आपसी सहमति से भूमि क्रय निधि, 2016
20/09/2017	राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसीलदार एवं नाचब तहसीलदार के नवीन पदों के सृजन बाबत

1. मुख्य पृष्ठ में औद्योगिक प्रयोजन / वृक्ष कटाई को select करे 1

2. तत्पश्चात भूमि व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन / वृक्ष कटाई को select करे. 2

आवेदक का पंजीयन(रजिस्ट्रेशन) एवं लॉग इन पृष्ठ


The screenshot shows the Revenue Department website interface. The main heading is "राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग" (Revenue and Disaster Management Department). The page is divided into two main sections: "Change Of Land Use" and "Tree Felling". Under "Tree Felling", there are three buttons: "LOGIN" (circled with a red '4'), "NEW REGISTRATION" (circled with a red '3'), and "VERIFY TREE FELLING APPLICATION STATUS". The "NEW REGISTRATION" button is highlighted with a red arrow. The footer contains links for "Replanting requirement information", "Self-Certification for Tree NOC", "User Guide", and "Inspection Manual". The system tray at the bottom shows the date and time as 11:25 AM on 10/16/2017.

1. पंजीयन(रजिस्ट्रेशन) हेतु चरणबद्ध प्रक्रिया:-

> आवेदक New Registration पर **3** click करे


The screenshot shows the Revenue Department website interface with a "NEW USER REGISTRATION" form overlay. The form has three input fields: "Name" (with placeholder "Enter Your Name"), "Address" (with placeholder "Enter Your Address"), and "Mobile No" (with placeholder "Enter Your Mobile No"). Below the fields is a "Register" button. The background shows the same "Tree Felling" section as the previous screenshot, but the "NEW REGISTRATION" button is now highlighted with a red arrow. The system tray at the bottom shows the date and time as 11:29 AM on 10/16/2017.

> New Registration हेतु आवेदक नाम, पता एवं वैध मोबाइल न. प्रविष्ट कर Register Button पर क्लिक करे | Register Button पर क्लिक करने पश्चात User id एवं Password Generate(इसे गोपनीय रखे) होगा | जिसके माध्यम से लॉग इन कर वृक्ष कटाई सम्बन्धी आवेदन की प्रविष्टि की जानी हैं |



Login page – लॉग इन में क्लिक कर आवेदक लॉग इन करे |

4




> लॉग इन के पश्चात् Home Page Open होता है |

1.Tree Felling Form – Part1 को select करे



The screenshot shows the home page of the Revenue Department website. The header includes the department's logo and name in Hindi: 'राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग'. Below the header, there is a navigation bar with 'Home' and 'Profile' links. The main content area features a 'Welcome LaxmiKant114455 Log Out' message. A central box titled 'Online Services' contains a section for 'NOC Tree Felling / Self Certificate'. This section lists four steps: 1. Tree Felling Form - Part I, 2. Verify Payment, 3. Check Status, and 4. Download Certificate. The status for step 3 is '0 Approved' and for step 4 is '0 Pending'. The footer contains a copyright notice for the Revenue Department, Government of Chhattisgarh, and a disclaimer about the accuracy of the information. The NIC logo is also present in the footer.

Tree Felling Form – Part1



The screenshot displays the 'Tree Felling Online Application Form'. The form is divided into two main sections: 'Land Owner Details' and 'Applicant Details'. The 'Land Owner Details' section includes fields for 'जिला' (District) with a dropdown menu showing 'धमतरी', 'वहसील' (Taluk) with a dropdown menu showing 'कुरुद', 'ग्राम' (Village) with a dropdown menu showing 'कोलियारी (00030)', and 'भूस्वामी' (Landowner) with a dropdown menu showing 'गुलाब पिता दुबु, दैम्मर(3/2)'. The 'Applicant Details' section includes fields for 'Name Of Applicant' (अजय कुमार), 'Father's Name' (विमल कुमार), 'Address' (सखम विहार कॉलोनी), 'PinCode' (498993), 'Mobile Number' (9897896876), and 'Email' (ajay.kumar@gmail.com). A 'Back' link is visible in the top right corner of the form area.

इमारती - फलदार प्रजाति के लिए वृक्षों की सूची में चुनना होगा | अन्य के लिए वृक्ष का नाम लिखना होगा |

कालियास (00030) गुलाब पता दुबू, दामर(3/2)

Applicant Details

Name Of Applicant:* अजय कुमार **Father's Name:*** विमल कुमार

Address:* सत्यम विहार कॉलोनी **PinCode:*** 498993

Mobile Number:* 9897896876 **Email:*** ajay.kumar@gmail.com

Telephone Number: Enter Your Telephone Number **Fax Number:** Enter Your Fax Number

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष का नाम	संख्या	काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	मिट्टाएँ
3/2	0.100	इमारती	सामधान	6	3	मिट्टाएँ

नया जोड़ें +

© Content Owned by Rev. All efforts have been made to make the information as accurate as possible caused by inaccuracy in the information available on this Website. Site Design: NIC, will not be responsible for any damage. matics Center , Dhattigarh

Enter Your Address Enter Your PinCode

Mobile Number:* Enter Your Cellphone Number **Email:*** Enter Your Email

Telephone Number: Enter Your Telephone Number Enter Your Fax Number

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष का नाम	संख्या	काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	मिट्टाएँ
17/1	1.214	फलदार	जामुन			मिट्टाएँ

नया जोड़ें +

Save


खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल	वृक्ष प्रजाति	वृक्ष का नाम	संख्या	काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	मिट्टाएँ
17/1	1.214	अन्य	अन्य			मिट्टाएँ

नया जोड़ें +

Save

> उपरोक्त फॉर्म में दिये गए समस्त field में जानकारी आवेदक द्वारा भरा जावेगा ।
एक से अधिक खसरे होने की स्थिति में खसरा जोड़ने की सुविधा उपलब्ध
(←) हैं।

> समस्त field में जानकारी प्रविष्टि पश्चात् SAVE Button पर Click करे ।



> SAVE होने के पश्चात् आवेदन क्र. प्राप्त होगा ,जिसे सुरक्षित रखे ।

ई-चालान के द्वारा पेमेंट करने की प्रक्रिया:

- ii. इस वेबसाइट पर जाइये <http://www.cg.nic.in/eChallan/>

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Directorate of Treasury Accounts and Pensions

e-Challan
[See Rule 64 A.64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)]
[Discontinuation of eChallan Payment for bhejna SubHead 0873 (Quartely Tax Payment)
from 1st September 2014 for transport Department]

 [Payment For TRANSPORT department via echallan will be stopped with effect from 25/06/2015.
For Online payments please visit <http://cgtransport.org>]

Enter Usercode and Password to Login

Usercode


Password

 **Single Window Login**
Ease of doing Business

[New User ? Register here](#)
[Forget Password](#)
[Why Register](#)

Best Viewed in 1024x768 Screen Resolution
Designed & Developed by e-Gov Division, NIC, Chhattisgarh State Center, Raipur

Single Window Login में user id और password डालकर submit बटन में क्लिक करें:



The screenshot shows the Government of Chhattisgarh e-Challan portal. At the top, it reads "Government of Chhattisgarh, Department of Finance, Directorate of Treasury Accounts and Pensions". Below this, it says "e-Challan" and provides a link to "See Rule 64 A, 64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)". A notice states: "[Discontinuation of eChallan Payment for Income Sub/Head 0873 (Quarterly Tax Payment) from 1st September 2014 for transport Department]". Another notice says: "[Payment For TRANSPORT department via e-challan will be stopped with effect from 25/06/2015. For Online payments please visit http://etransport.org]". The main heading is "Enter Usercode and Password to Login". There are input fields for "Usercode" and "Password" with a "Sign In" button. A "Single Window Login" button is also present. A modal window titled "Single Window Login" is open, showing "User Id" as "Revenue_123" and "Password" as "*****" with a "Submit" button.

iii. select department में "Revenue" विभाग का चुनाव करे:



The screenshot shows the "Select Department" page of the e-Challan portal. The header is the same as the previous page. The main heading is "e-Challan" with a link to "See Rule 64 A, 64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)". Below this, there is a "Select Department" section with a list of departments, each with a radio button. The "Revenue" department is selected. The list includes: Agriculture, Commerce and Industries, Culture, Excise, Food and Civil Supplies, Higher Education, Jail, Mineral Resources, Public Health & Family Welfare, Public Works, School Education, Stamps and Registration, Women and Child Development, Co-operation, Commercial Tax, Energy Department, Finance, Forest, Home, Labour, Panchyat & Rural Development, Public Health Engineering, Revenue, Sports & Youth Welfare, and Water Resources Department. There is also a dropdown menu for "Other Departments" and "Submit" and "Reset" buttons.

उपयुक्त head का चुनाव करें:

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Directorate of Treasury Accounts and Pensions

e-Challan
[See Rule 64 A 64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)]

User Revenue_123 Department: Revenue Department Code: 07

• Home

HEAD OF ACCOUNT*

Select: 0029 Land Revenue
0029 Land Revenue
0049 Interest Receipts

Back Clear

If you are facing any problem in respect of Major Head, Please mail us to eChallan.cg@nic.in for necessary ratification. Thanks for your corporation.

इस फॉर्म को भरे:

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Directorate of Treasury Accounts and Pensions

e-Challan
[See Rule 64 A 64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)]

User Revenue_123 Department: Revenue Department Code: 07

• Home

DISTRICT: 13-Dhamtari
OFFICE ADDRESS: 1307001-TAHSILDAR DHAMTARI

NAME OF PAYER*: Revenue
FLAT/BLOCK NO./HOUSE NO.: -
NAME OF PREMISES/BUILDING/VILLAGE: -
ROAD/STREET/LANE: -
CITY/DISTRICT: Raipur
STATE/UT: Chhattisgarh
PINCODE: 492001
ASSESSMENT YEAR: 2016-2017
HEAD OF ACCOUNT*: 0029_00_103_0669_Panchayat Cess
DESCRIPTION: Panchayat Cess
PURPOSE: Tree Felling Payr

PERIOD (FROM): Select - Month | 2016
PERIOD (TO): Select - Month | 2017
BANK GATEWAY*: State Bank Of India
PHONE No./MOBILE: -
E MAIL: -

Submit Back Clear

If you are facing any problem in respect of Major Head, Please mail us to eChallan.cg@nic.in for necessary ratification. Thanks for your corporation.

All fields marked with * are mandatory.

vi. फॉर्म में दर्ज की गई जानकारी को पुनः चेक करे, सही होने पर “Confirm” बटन पर क्लिक करें:

Government of Chhattisgarh
Department of Finance
Directorate of Treasury Accounts and Pensions

e-Challan
[See Rule 64 A 64 B of Treasury Code (Govt. of Chhattisgarh)]

bank code=0009999

Please verify the information entered, click Confirm to make the payment otherwise click Back to modify details.

User Revenue_123 Department: Revenue Department Code: 07

• Modify User Details
• Change Password
• ePayments
• SignOut
• Home

DISTRICT	Dhamtari
OFFICE ADDRESS	TAHSILDAR DHAMTARI
NAME OF PAYER	Revenue
FLAT/BLOCK NO./HOUSE NO.	-
NAME OF PREMISES/BUILDING/VILLAGE	-
ROAD/STREET/LANE	-
CITY/DISTRICT	Raipur
STATE/UT	chhattisgarh
PINCODE	492001
ASSESSMENT YEAR	2016
MAJOR HEAD	0029
SUBMAJOR HEAD	00
MINOR HEAD	103
SUB HEAD	0669
PURPOSE	Tree Felling Payment
PERIOD (FROM)	-
PERIOD (TO)	-
BANK GATEWAY	State Bank Of India
PHONE No./MOBILE	-
E MAIL	-

Confirm Back

pop up box में OK बटन पर क्लिक करे:

The screenshot shows a web browser window with the URL `cg.nic.in/eChallan/confirm-entries.jsp`. A pop-up dialog box titled "cg.nic.in says:" is displayed in the center, with the message "Your data is about to be transmitted." and an "OK" button. Below the dialog box, there is a red horizontal bar with the text "Please verify the information entered, click Confirm to make the payment otherwise click Back to modify details".

Below the red bar, there are three orange text elements: "User Revenue_123", "Department: Revenue", and "Department Code: 07".

On the left side, there is a navigation menu with the following items:

- [Modify User Details](#)
- [Change Password](#)
- [ePayments](#)
- [SignOut](#)
- [Home](#)

The main content area displays a form with the following details:

DISTRICT	Dhamtari
OFFICE ADDRESS	TAHSILDAR DHAMTARI
NAME OF PAYER	Revenue
FLAT/BLOCK NO./HOUSE NO.	-
NAME OF PREMISES/BUILDING/VILLAGE	-
ROAD/STREET/LANE	-
CITY/DISTRICT:	Raipur
STATE/UT:	chhattisgarh
PINCODE:	492001
ASSESSMENT YEAR	2016
MAJOR HEAD	0029
SUBMAJOR HEAD	00
MINOR HEAD	103
SUB HEAD	0669
PURPOSE	Tree Felling Payment
PERIOD (FROM)	-
PERIOD (TO)	-
BANK GATEWAY	State Bank Of India
PHONE No./MOBILE:	-
E MAIL:	-

At the bottom of the form, there are two buttons: "Confirm" and "Back".

इस प्रकार पेमेंट पूर्ण होने पर एक **treasury reference number** प्राप्त होता है, जिसे वृक्ष कटाई सॉफ्टवेयर में जांच कर प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है.

द्वितीय चरण

> वृक्ष कटाई के लिए प्राप्त आवेदन राजस्व न्यायालय में कलेक्टर (पीठासीन अधि) के रीडर की लॉग इन ID में [वृक्ष कटाई आवेदन](#) में प्रदर्शित होगा। जिसका रीडर द्वारा प्रकरण दर्ज किया जायेगा।

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य पृष्ठ प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविन्दी प्रकरण सम्पादित करें आबादी पट्टा उपयोगकर्ता प्रबंधन रिपोर्ट निकास

प्रकरण खोजें

R Welcome Reader! न्यायालय:न्यायालय कलेक्टर सरगुजा जिला :सरगुजा चयनित प्रकरण

कार्यवाही स्थगन अलर्ट

हस्तांतरित प्रकरण

परीक्षण हेतु आये प्रकरण

वृक्ष कटाई आवेदन

क्या आज कोर्ट कार्यवाही हुई ?

हाँ

नहीं

राजस्व न्यायालय से सम्बन्धित किसी भी समस्या या सुझाव को स्क्रीनशॉट, आवश्यक जानकारी सहित ईमेल करें

revenuecourt.cg@gmail.com

ऑनलाइन राजस्व न्यायालय में कार्य सम्पादन के मार्गदर्शन हेतु पीपीटी डाउनलोड करें

NEW आगामी

ऑनलाइन

ऑनलाइन राजस्व न्यायालय में रीडर के लॉग इन से प्रकरण से सम्बन्धित निम्न कार्य किये जा सकते हैं :

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य पृष्ठ प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविन्दी प्रकरण सम्पादित करें आबादी पट्टा उपयोगकर्ता प्रबंधन रिपोर्ट निकास

प्रकरण खोजें

R Welcome Reader! न्यायालय:न्यायालय कलेक्टर सरगुजा जिला :सरगुजा चयनित

TF_Provisinal_No	आवेदक	पिता/पति	पता	संपर्क	आवेदन दिनांक स्थान वृक्ष प्रकार खसरा/भूमि क्र.	रकबा	कुल वृक्ष	कुल कटे वृक्ष	वाम क्र.	ईमेल	
00109	Laxmi Kant	Jai Ram	Ambikapur	9755889189	F	20/3	0,028	10	1	390105,028	ks_123@gmail.com

प्रकरण दर्ज करें

© Revenue Department, Chhattisgarh

javascript:_doPostBack('ctl00\$ContentPlaceHolder1\$GridView1','Select\$0')

EN 12:53 PM 10/16/2017

तृतीय चरण

> रीडर द्वारा दर्ज प्रकरण को पीठासीन अधिकारी की द्वारा सम्बंधित न्यायालय को प्रकरण जाँच हेतु प्रेषित किया जावेगा ।

> सम्बंधित न्यायालय के अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रकरण का परीक्षण करने पश्चात जाँच प्रतिवेदन मूल पीठासीन अधिकारी (कलेक्टर न्यायालय) को पुनः प्रेषित किया जावेगा।

> प्रकरण से सम्बंधित दस्तावेजो जैसे स्थल निरिक्षण रिपोर्ट एवं वृक्ष कटाई प्रमाण पत्र, को Online Upload करने का कार्य रीडर द्वारा किया जावेगा ।

अपलोड करने की प्रक्रिया

चरण १ .

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य पृष्ठ प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि प्रकरण समाप्तित करें आबादी पट्टा उपयोगकर्ता प्रबंधन रिपोर्ट निकास प्रकरण खोजें

R प्रकरण दर्ज करें Welcome Reader! न्यायालय:न्यायालय कलेक्टर, धमतरी जिला :धमतरी चयनित प्रकरण 201707130100003 /अ-62

प्रकरण दर्ज करें
खसरा रकबा अपडेट करें
आवेदक/अनावेदक जोड़ें
गवाह जोड़ें
कार्यवाही का विवरण
आज की कार्यवाही

न्यायालयीन प्रकरण
परीक्षण के लिए आये प्रकरण

क्या आज कोर्ट कार्यवाही हुई ?
हाँ
नहीं

राजस्व न्यायालय से सम्बंधित किसी भी समस्या या सुझाव को खरीनशॉट,आवश्यक जानकारी सहित ईमेल करें
revenuecourt.cg@gmail.com

ऑनलाइन राजस्व न्यायालय में कार्य समाप्त के मार्गदर्शन हेतु पीपीटी डाउनलोड करें

मी सुनवाई कारण के 3

ऑनलाइन राजस्व न्यायालय से सम्बंधित ऑनलाइन राजस्व न्यायालय में रीडर के सॉफ्ट इन से प्रकरण से सम्बंधित निम्न कार्य किये जा सकते हैं :

1. प्रकरण दर्ज करना
2. खसरे रकबे की जानकारी
3. आवेदक/अनावेदक दर्ज करना
4. गवाह दर्ज करना
5. नोटिस जारी करना

चरण २

राजस्व न्यायालय, छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य पृष्ठ प्रकरण एवं कार्यवाही की प्रविष्टि प्रकरण समाप्तित करें आबादी पट्टा उपयोगकर्ता प्रबंधन रिपोर्ट विकास प्रकरण खोजें

R Welcome Reader | न्यायालय:न्यायालय कलेक्टर, धमतरी जिला :धमतरी चयनित प्रकरण 201707130100003 /अ-62

प्रकरण कार्यवाही

ग्राम : अट(प.ह.न. 00039), कुरुद(प.ह.न. 00042), सिरी(प.ह.न. 00012)

आदेश पत्र दिनांक : 05/07/2017

कार्यवाही का विवरण : तहसीलदार कुरुद का प्रतिवेदन प्राप्त ।

आगामी सुनवाई दिनांक : 14/07/2017

सुनवाई का स्थान : न्यायालय कलेक्टर, धमतरी

आगामी विधी में जिस हेतु प्रकरण नियत है : प्रकरण आदेशार्थ

क्या प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है : **नहीं**

नोटिस का विषय : ...

नोटिस का विवरण :

© Revenue Department, Chhattisgarh

चरण ३

ऑर्डर शीट एवं परिशिष्ट अपलोड करें

प्रकरण क्रमांक : 201707130100003/अ-62

विकल्प चुनें :

- ऑर्डर शीट अपलोड
- परिशिष्ट
- अंतिम आदेश
- आवेदन पत्र
- जवाब/दावा
- तामिलशुदा उद्घोषणा
- तामीलशुदा नोटिस
- तामीलशुदा ज्ञापन
- शपथपूर्वक कथन
- आखत पत्र
- वृक्ष कटाई जांच प्रतिवेदन
- वृक्ष कटाई प्रमाण पत्र

Choose File PRATIVEHAN (1).pdf

प्रकरण से संबंधित कोई फाइल अपलोड नहीं की गई है

अपलोड किये गये दस्तावेज आवेदक को उसके वृक्ष कटाई के लॉग इन पर दिखाई देगा | नस्तीबद्ध करने का कार्य पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जावेगा |

प्रकरण नस्तीबद्ध होने के पश्चात आवेदक वृक्ष कटाई सॉफ्टवेयर में लॉग इन कर Download Certificate से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Profile ▾

Welcome bhavneet152655 Log Out

Online Services

NOC Tree Felling / Self Certificate

1. Tree Felling Form - Part I
2. Verify Payment
3. Check Status 0 Approved
4. Download Certificate 2 Pending

आवेदन क्रमांक चुननें

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

Home Profile ▾

Self-Certificate / Receipt Download

Back

Enter Application No.


वृक्ष कटाई प्रमाण पत्र डाउनलोड करें

© Content Owned by Revenue Department, Government of Chhattisgarh.

All efforts have been made to make the information as accurate as possible. Departments of Chhattisgarh Govt. or NIC, will not be responsible for any damage caused by inaccuracy in the information available on this Website. Site Designed, Developed & Hosted By: National Informatics Center, Chhattisgarh

NIC

वृक्ष कटाई प्रमाण पत्र डाउनलोड करें में क्लिक करें



आम जन के लिए

The screenshot shows the website interface for the Rajswv and Disaster Relief Department. It features two main sections: 'Change Of Land Use' and 'Tree Felling'. The 'Change Of Land Use' section includes a 'Single Window Login' button and a 'VERIFY CERTIFICATE LAND DIVERSION APPLICATION STATUS' button. The 'Tree Felling' section includes a 'LOGIN' button, a 'NEW REGISTRATION' button, and a 'VERIFY TREE FELLING APPLICATION STATUS' button. A link 'वृक्ष कटाई के प्राप्त आवेदन देखें' (View tree felling applications) is also present.

ये सुविधा वृक्ष कटाई के प्राप्त आवेदन देखें लिंक पर क्लिक करके उपयुक्त चयन करके देखा जा सकेगा ।

वृक्ष कटाई के दर्ज प्रकरण		प्रकरण क्रमांक	प्रकरण वर्ष	प्रकरण प्राप्ति दिनांक	प्रकरण पंजीयन दिनांक	आवेदक	आवेदक पता	संपर्क	खसरा(रकबा है)	ग्राम
जिला	बेमेतरा	201710230100002	2017	14/10/2017	14/10/2017	प्रदीप चौबे	ग्राम मोहाभाठा तहसील साजा जिला बेमेतरा	9685572649	580(0.300)	मोहाभाठा

Secure | https://revenue.cg.nic.in/treefelling/Tree_Felling_NOC/View.aspx?CaseId=201710230100002&&Doctype=TF

10.02.2017	प्रकरण क. ११/अ-62 वर्ष 2015-16
	<p>प्रकरण पेश।</p> <p>राजस्व निरीक्षक देवकर एवं वन परिक्षेत्राधिकारी साजा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त संलग्न हैं।</p> <p>प्रकरण का सार संक्षेप इस प्रकार है कि ग्राम मोहाभाठा प.ह.न. 15 राजस्व निरीक्षक मण्डल देवकर तहसील साजा स्थित आवेदक श्री प्रदीपकुमार चौबे पिता श्री देवीप्रसाद चौबे साकिन मोहाभाठा के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज भूमि ख.न. 580 रकबा 0.30 हे. में मौजूद 04 नग सागीन पेड़ को निजी उपयोग के लिए काटने की अनुमति मिलने आवेदन पत्र कलेक्टर बेमेतरा को प्रस्तुत किया गया था, जो जांच प्रतिवेदन हेतु अनुविभागीय अधिकारी साजा के माध्यम से प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज किया गया।</p> <p>संलग्न राजस्व अभिलेख के अनुसार ख.न. 580 रकबा 0.30 हे. आवेदक प्रदीपकुमार, रविन्द्रकुमार, राजेन्द्रकुमार, अजयकुमार आ. देवीप्रसाद ब्रान्हण के शामिल शरीक भूमिस्वामी हक में दर्ज है। खसरा अभिलेख के खाना 12 में सागीन वृक्ष की संख्या 07 दर्ज है। राजस्व निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि का सीमांकन कर 04 नग सागीन वृक्षों को मौके पर चिन्हकित कर लाल स्याही से नजरी नक्शा में आवेदित सागीन पेड़ों को चिन्हकित किया गया है।</p>

भारत सरकार
वित्त विभाग

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17
वित्त विभाग

विषय :-

क. म. सं.

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17
वित्त विभाग

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17
वित्त विभाग

क्र.सं.	वृत्त संख्या	वर्ष	प्रकार	मात्रा
1.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
2.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
3.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
4.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
5.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
6.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
7.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
8.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
9.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
10.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
11.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
12.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
13.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
14.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
15.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
16.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
17.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
18.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
19.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14
20.	128/14	2016-17	क. म. सं.	128/14

आदेश सं. 128/14 दि. 2016-17
वित्त विभाग



Annexure

प्ररूप - तीन
[नियम 3 देखिये]

हाई रिस्क

न्यायालय, तहसीलदार

तहसील जिला

क्रमांक
प्रति,

तारीख

कलेक्टर/अपर कलेक्टर
द्वारा-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

विषय :- कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक की जाँच रिपोर्ट,
आवेदक.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/..... निवासी-ग्राम
पटवारी हल्का क्रमांक तहसील जिला

सन्दर्भ :- कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय के जापन क्रमांक तारीखसन्दर्भ के अधीन आदेश के
अनुपालन में राजस्व प्रकरण इस न्यायालय में रजिस्ट्रीकृत किया गया था तथा मैंने अपनी स्थानीय अधिकारिता
के अधीन ग्राम पटवारी हल्का क्रमांक राजस्व निरीक्षक वृत्त में स्थानीय जाँच की
तथा स्थल निरीक्षण तारीख को किया गया ।

2. जाँच के समय निम्नलिखित व्यक्ति सहायता तथा साक्षी के रूप में उपस्थित थे -
(क) आवेदक तथा उसके नातेदार/साथी यदि कोई हो, का नाम
(ख) दो स्वतंत्र साक्षियों का नाम तथा पता 1.
2.
(ग) फील्ड कर्मचारीवृन्द का पूरा नाम, पदनाम तथा धारित प्रभार
3. मैंने निम्नलिखित से सम्बंधित तथ्यों को अभिनिश्चित करने हेतु आवेदक, पटवारी, कोटवार तथा अन्य
स्थानीयसाक्षियों के शपथ पर कथन अभिलिखित किए हैं -
(एक) भूमि का हक तथा कब्जा
(दो) आवेदित वृक्ष, भूमि स्वामी के खाते पर वास्तविक रूप से खड़े हैं तथा इस प्रयोजन के लिए फील्ड पर
सीमांकन किया था और नवीनतम बन्दोबस्त अभिलेख निर्दिष्ट किए गए हैं । सावधानीपूर्वक तथा
निष्पक्ष जाँच के पश्चात् मेरी सिफारिश/प्रतिवेदन निम्नानुसार है -

खसरे की प्रति, किशतबंदी बी-1 नक्शा तथा सीमांकन रिपोर्ट, काटे जाने वाले वृक्षों की सूची, अभिलिखित कथन
तथा खाते का राजस्व अभिलेख रखने वाले पदधारियों का प्रमाण-पत्र संलग्न है । स्वतंत्र साक्षियों के हस्ताक्षर के साथ
पंचनामा भी संलग्न है ।

4. मैंने वृक्षों को काटने के संबंध में दिए गए कारणों तथा भूमिस्वामी के वास्तविक व्यक्तिगत उपभोग हेतु काष्ठ,
जिसमें बल्ली भी सम्मिलित है, एवं जलाऊ लकड़ी की वास्तविक आवश्यकता के
बारे में सावधानीपूर्वक जाँच की है । मेरा निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

5. आवश्यक सावधानीपूर्वक जाँच के पश्चात् मैं अभिपुष्टि करता हूँ कि वृक्षों को काटने हेतु आवेदन देने में कोई ठेकेदार/काष्ठ व्यापारी या कोई बिचौलिया अन्तर्वलित नहीं है। मेरा समाधान हो गया है कि इस प्रकरण में आवेदक का किसी प्रकार से शोषण नहीं हुआ है।
6. मैं इसकी भी अभिपुष्टि करता हूँ कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अभिलेख को छिपाया नहीं गया है, उसका दुर्व्यपदेशन नहीं किया गया है या गलत अर्थान्वयन नहीं किया गया है।
7. प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न है, जैसा कि अपेक्षित है -

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. | 4. | 7. |
| 2. | 5. | 8. |
| 3. | 6. | 9. |

8. अन्य कोई बिंदु या की गई टीका-टिप्पणी -

.....

.....

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

तारीख

न्यायालय

हस्ताक्षर

स्थान

की मुद्रा

पूरा नाम

-----X-----

प्ररूप - पांच

संभागीय वन अधिकारी के प्रतिवेदन के लिए प्रारूप
कार्यालय, संभागीय वन अधिकारी संभाग
मुख्यालय..... जिला

क्रमांक तारीख

प्रति,
कलेक्टर/अपर कलेक्टर
जिला

विषय : - भूमिस्वामी के खाते पर विनिर्दिष्ट वृक्ष (वृक्षों) को काटने की अनुज्ञा के प्रकरण में प्रतिवेदन ।
सन्दर्भ :- राजस्व प्रकरण क्रमांक में अध्यक्षता क्रमांक तारीख
आवेदक.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/..... निवासी-ग्राम पटवारी
हल्का क्रमांक तहसील जिला

यतः आपके न्यायालय में संदर्भाधीन राजस्व प्रकरण में प्रतिवेदन के लिए निम्नलिखित विशिष्टियों के साथ
अध्यपेक्षा इस कार्यालय में तारीख को प्राप्त हुई ।

आवेदक.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/..... निवासी-ग्राम पटवारी हल्का
क्रमांक तहसील जिला

- द्वारा काटे जाने के लिए प्रस्तावित वृक्षों जिनकी प्रजाति वार संख्या : 1. ईमारती -----
2. फलदार -----
3. अन्य -----

है, को काटे जाने हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया गया है ।

2. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 तथा उनके अधीन नियमों के उपबन्धों और प्रकरण से सम्बंधित अन्य विधियों, नियमों तथा शासन के सामान्य कार्यकारी अनुदेशों के अनुरूप मेरे द्वारा आवश्यक जाँच कराई गई है । वांछित बिन्दुओं पर मेरा प्रतिवेदन निम्नानुसार है -

- (एक) विशिष्टतया तथा विनिर्दिष्ट रूप
अभिनिश्चित करना कि भूमि, जो
आवेदक के खाते के रूप में कथित है, सरकार के
संरक्षित/आरक्षित वनों की नहीं है (इस बिन्दु पर
कोई भी शंका कि दशा में उसके लिए
कारण स्पष्ट रूप से तथा निष्पक्ष रूप से
लेखबद्ध किए जाएं और प्रकरण बिना आगे
जाँच के वापस लौटाया जाय ।)
- (दो) क्या आवेदक का प्रश्नगत खाता आरक्षित या :
संरक्षित वनों या अन्य किसी वन की सीमा से
लगा हुआ है या उसके इतना निकट है कि
वृक्ष (वृक्षों) की कटाई की अनुज्ञा से लगे
हुए या समीपस्थ वन को नुकसान होने की
संभावना है ।
- (तीन) क्या भू-क्षरण, परिस्थिकी (इकोलॉजी) या :
ऐसी अन्य बातें, जिनको विनिर्दिष्ट किया
जाये, को ध्यान में रखते हुए क्या आवेदित
वृक्षों को काटे जाने की अनुज्ञा दी जाए
अथवा नहीं ।
- (चार) क्या वृक्षों की उम्र, परिपक्वता तथा :
दशा वृक्षों को काटने की अनुज्ञा दिए जाने के
लिए उपयुक्त है ?

(पांच) क्या वृक्ष (वृक्षों) को काटने की प्रस्तावित:
 अनुज्ञा से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
 के किन्हीं उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन
 तो नहीं होता ?

(छः) ऐसे वृक्ष (वृक्षों) का वृक्षवार विवरण, जिनको :
 काटे जाने की सिफारिश की गई |

वृक्ष (वृक्षों) का अनुक्रमांक	प्रजाति	वृक्ष (वृक्षों) की परिधि	वृक्ष (वृक्षों) की दशा	क्षेत्र की साईट क्वालिटी	वृक्ष (वृक्षों) की अनुमानित ऊँचाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(सात) कटाई से प्राप्त होने वाली उपज, काष्ठ तथा :
 जलाऊ लकड़ी की अलग-अलग अनुमानित
 मात्र
 मात्र

(आठ) कटाई का खर्च घटाने के पश्चात् डिपो पर :
 चालू मूल्यांकन के आधार पर उपज का
 अनुमानित मूल्य,

(नौ) कोई अन्य संबद्ध या महत्वपूर्ण जानकारी, :
 विवरण या बिन्दु, जो कि संभागीय वन
 अधिकारी की राय में आवेदक के हितों के
 संरक्षण से सुसंगत हों या आवेदक को शोषण
 से बचाए अथवा जिससे सरकार की संपत्ति
 या हित संरक्षण हो सके |

3. मैंने स्वयं का समाधान कर लिया है कि प्रतिवेदन तथ्यात्मक रूप से सही तथा पूर्ण है तथा कोई सारवान या सुसंगत तथ्य न तो छिपाया गया है और न ही उसका (दुर्व्यपदेशन या अशुद्ध) अर्थान्वयन किया गया है। मेरी निश्चल एवं निष्पक्ष राय में कटाई के लिए आवेदित वृक्षों की कटाई की निम्न कारणों से अनुमति दी जानी चाहिए/नहीं दी जानी चाहिए।

4. आवेदन की प्रति तथा तहसीलदार का प्रतिवेदन सहपत्रों के साथ जैसा अध्यपेक्षा के साथ प्राप्त हुआ था, लौटाये जा रहे हैं। परिक्षेत्र अधिकारी, उप संभागीय अधिकारी (वन) के प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है। कटाई के लिए प्रस्तावित वृक्ष/वृक्षों का गणना पत्रक तथा मूल्यांकन पत्रक भी संलग्न है। प्रकरण में जिन अधिकारियों/पदधारियों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया या स्थल का निरीक्षण किया गया, उनके नाम, पदनाम तथा उनके द्वारा धारित प्रभार का विवरण संलग्न है। उन्होंने जाँच के सुसंगत दस्तावेजों पर तारीख के साथ अपने हस्ताक्षर, पूर्ण नाम सहित अंकित किये हैं।

मैंने पूर्ण ध्यान एवं सावधानी रखी है कि प्रतिवेदन पूर्ण सही सत्य है तथा सरकार और आवेदक के हित संरक्षित हैं।
 तारीख मास वर्ष को मेरे हस्ताक्षर तथा मेरे कार्यालय की मुद्रा से

जारी किया गया।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

पूर्ण नाम

पदनाम

कार्यालय की मुद्रा

END